email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स-0135-2431159,

# कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 2036 / 12-1 दिनांक, मुनिकीरेती 23 / 06 /2021,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड्ल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बालगंगा नदी एवं भिलगंना के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मार्ग के निर्माण हेतु 1.085 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/47739/2020.

सन्दर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी का पत्रांक–2565/12–1, दिनांक–17.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

| क0 सं0 | आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | एफ0आर0ए0 में पत्रांक एवं दिनांक अंकित नही है। | बिन्दु सं0–01 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 में पत्रांक एवं दिनांक अंकित कर दिया गया है। **(छाया प्रति संलग्न)** |
| 2 | आई0टी0 सैल से प्राप्त किया गया हवाई दूरी प्रमाण पत्र संलग्न नही है | बिन्दु सं0–02 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0टी0 सैल से प्राप्त कर दिया गया है। **(छाया प्रति संलग्न)** |

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(डॉ धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

संख्या – 2036 / , उक्तदिनांकित।

**प्रतिलिपि** – प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
(डॉ धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

Scanned with CamScanner

## प्रपत्र 23.1

दिनांक 28/5/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सेन्दुल (कुमं)

| क्रमांक | ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम | | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री सौकार सिंह | प्रधान | सौकार सिंह |
| 2 | श्री मोर सिंह | उप प्रधान | [signature] |
| 3 | श्रीमती माहेश्वरी देवी | सदस्य | माहेश्वरी |
| 4 | श्रीमती धन्नी देवी | " | धन्नी देवी |
| 5 | श्रीमती शर्मी देवी | " | |
| 6 | ना— कमली देवी | " | |
| 7 | प्रभारी चिकित्साधिकारी [illegible] | | [signature] |
| 10 | [illegible] | | [signature] |
| 11 | [illegible] | | |
| 12 | सरस्वती मैठाणी, पूर्व क्षे० पं० सदस्य, ग्राम सेन्दुल, पो० [illegible], 9639437570 | | [signature] |

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

## वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—सेन्दुल
तहसील—घनसाली, जिला—टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.0850 है0 आरक्षित वन भूमि 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 1.0850 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सेन्दुल द्वारा दिनांक—28/5/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सेन्दुल....... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सेन्दुल
विकास खण्ड—भिलंगना
जिला—टिहरी गढ़वाल

ग्राम पंचायत सेन्दुल ह0— सौभाग दिनांक 28/5/15 वि० ख० भिलंगना (टिहरी गढ़वाल)

ह0/— ग्राम प्रधान

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

# प्रपत्र 23.1

दिनांक 28/05/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

| क्रमांक | ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | घनानन्द S/o [illegible] | [illegible] |
| 2 | पदमदत्त S/o [illegible] | [illegible] |
| 3 | प्रेमानन्द S/o [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] S/o [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] S/o [illegible] | [illegible] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

[illegible]

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.085 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.0850 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–घनसाली) की दिनांक–......10/6/15. को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जगदीश लाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री जगदीश लाल, उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष।
2. श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य।
3. श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली। — सदस्य/सचिव।
4. श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना। — सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोंडने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु परियोजना हेतु 1.0850 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अंनुशंसा की गई है।

समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत . जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.0850 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

पत्रांक :– / तद्दिनांक।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक–....12/6/15 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :–

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम | पद नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री जगदीश लाल | उपजिलाधिकारी | [signature] उपजिलाधिकारी घनसाली टिहरी गढ़वाल |
| 2 | हेमशंकर मंदोलकर | उप प्रभागीय वनाधिकारी, घनसाली | [signature] |
| 3 | श्री सुरेश कुमार पेटिला | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | [signature] सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिलंगना टिहरी गढ़वाल |
| 4 | श्रीमती कंचन मिश्रा | बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना | [signature] सदस्य क्षेत्र पंचायत बहेडा नैलचामी वि0ख0 भिलंगना |

Scanned with CamScanner

Annexure-1

Form-1

For linear projects

Government of india

Office of the district collector Tehri Garhwal

No. 1502/1 /XXVI-ALL-II /2015-16 Dated...18/9/15

## To WHOMSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Enyironment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialect and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued cerlain relanation in respect of linear projects it is certified that **1.0850 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for **Construction of Motor Road with Steel Girder Bridge at Confluence of Balganga and Bhilangana River For Connecting Balganga College.** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district fails withen jurisdiction of Bhaunr and Sendul village (s) In Ghansali Tehsils.

**It is further certified that**

(a) The complete process for idenfification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.0850 Hectares** of forest area proposed for diveision A copy of records of all consullations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division lavel committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to ............ annexure........................,

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

S.D.M.

Ghansali.

Tehri Garhwal

Signature

(युगल किशोर

(Yug[illegible]nt)

District collector,

Tehri Garhwal

Scanned with CamScanner

## OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
## DISTRICT –TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Yugal Kishor Pant I.A.S** District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Bhilangana Block area measuring 1.085 hect. for the construction of **Construction of Motor Road with Steel Girder Bridge at Confluence of Balganga and Bhilangana River For Connecting Balganga College.** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...New...Tehri

Dated:...18/5/15

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

District Collector-cum-Chairman
District Level Committe

Scanned with CamScanner

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of Motor Road with Steel Girder Bridge at Confluence of Balganga and Bhilungana River For Connecting Balganga College. scheme regarding FRA is ad following.

| Sr. No. | | Remark |
|---|---|---|
| (a) | He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 1.085 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s) | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |
| (b) | The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |

रघुवीर सिंह रावत
सदस्य
जिला पंचायत सदस्य
30, [illegible]
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०,लो०नि०वि०,घनसाली

(युगल किशोर पन्त)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

File No.-3201-2D/1/2020-..  1293 | 10 mg
21.12.2020

"आरक्षित वन-जीवन आपके संग"

## कार्यालय
## मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।
वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक — १९९ / 32-1-2(जी.आई.एस.) दिनांकः देहरादून, 5 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
घनसाली (मुख्यालय–घुमेटीधार)।

विषय :– विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बालगंगा एवं भिलंगना नदी के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय हेतु मोटर मार्ग का स्टील गार्डर सेतु का निकटतम राष्ट्रीय पार्क/अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक 1351/10 एम0 जी0 दिनांक 25–11–2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बालगंगा एवं भिलंगना नदी के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय हेतु मोटर मार्ग का स्टील गार्डर सेतु निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 33.9 कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

वन भूमि प्र0

भवदीय,

19/12/2020

उप वन संरक्षक,
अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कनिष्ठ अभियन्ता श्री भिलंगना
आवश्यक कार्यवाही करें

Digitally signed by PANKAJ KUMAR
Date:Fri Dec 04 11:47:44 IST 2020
Reason: Approved

Scanned with CamScanner